

फर्द अहकाग
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम


चित्तौड़गढ़ (राज.)

लालिता

बनाम

जमनालाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 386/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
२२/११/२४	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>लालिता</u> <u>W/o</u> श्री <u>कालुलाल मीणा</u> निवासी- <u>मीणों का कंबारिया (२)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>मीणों का कंबारिया (तह. चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>५१५मी, १७५/५१५</u></p> <p>कुल कीता <u>०२</u> कुल रकबा <u>१.२९००</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>मीणों का कंबारिया (पण्ड. जमनालाल तह. चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>५१५मी, १७५/५१५</u></p> <p>कुल कीता <u>०२</u> रकबा <u>१.२९००</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>१०००=००</u> रूपये अक्षरे <u>एक हजार ००००</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> (बिनु देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>